

लोक शिक्षण संचालनालय  
गौतम नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश

क्रमांक/आई.टी.सेल/टेबलेट क्रय/261/2023/1222  
प्रति,

भोपाल, दिनांक-09-11-2023

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।
2. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।

महत्वपूर्ण  
समय-सीमा

विषय:-शिक्षकों के द्वारा क्रय किये गये टेबलेट के संबंध में।

संदर्भ:-क्रमांक/आई.टी.सेल/टेबलेट क्रय/261/2023/1073, दिनांक 21.06.2023

क्रमांक/आई.टी.सेल/टेबलेट क्रय/261/2023/1114, दिनांक 11.07.2023


क्रमांक/आई.टी.सेल/टेबलेट क्रय/261/2023/1139, दिनांक 02.08.2023

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संचालनालय के संदर्भित पत्र दिनांक 21.06.2023 एवं दिनांक 11.07.2023 के अनुसार हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में पदस्थ समस्त व्याख्याता/उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं गणित/विज्ञान/अंग्रेजी विषय के उच्च श्रेणी शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक के द्वारा टेबलेट क्रय करने के निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 01.11.2023 की स्थिति में कुल लक्ष्य 44,000 टेबलेट के विरुद्ध पंजीयन एवं क्रय की स्थिति काफी न्यूनतम है। एजुकेशन पोर्टल के टेबलेट माड्यूल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार टेबलेट क्रय एवं रिम्बर्समेंट से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

1. कुल पंजीयन	-	32,334
2. प्रतिपूर्ति जमा	-	23,334
3. बी.आर.सी द्वारा तकनीकी सत्यापन	-	21,435
4. रिम्बर्समेंट कार्यवाही पूर्ण	-	16,000

उल्लेखनीय है कि जिलेवार विद्यालयवार रिपोर्ट एजुकेशन पोर्टल के टेबलेट माड्यूल में उपलब्ध है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कृपया रिपोर्ट का अवलोकन करें तथा दिनांक 20 नवम्बर 2023 तक शेष शिक्षकों द्वारा पंजीयन क्रय एवं बी.आर.सी. कार्यालय द्वारा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।


  
(अनुभा श्रीवास्तव)  
आयुक्त

लोक शिक्षण, म0प्र0

पृ.क्र./आई.टी.सेल/टेबलेट क्रय/261/2023/1223  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक - 09 - 11 - 2023

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, निर्देशों के अनुसार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करायें।
7. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
आयुक्त 8/11  
लोक शिक्षण, म0प्र0